



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-723

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 323426 दिनांक 06/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Bablu Ram Meena S/o Moti Ram Meena	श्रीमती विनिता सिंघल पत्नि श्री जे.के. सिंघल	48	200.00 SQ. YARD	Private	BALAJI ENCLAVE-II Sector/Block-A	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना बालाजी एनक्लेव-2 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 12.02.2009 को श्रीमती विनिता सिंघल पत्नि श्री जे.के. सिंघल के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.09.2021 को श्रीमती विनिता सिंघल पत्नि श्री जे.के. सिंघल के द्वारा श्रीमती कमलेश गुप्ता पत्नि श्री सत्यनारायण के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

08.11.2021 को श्रीमती कमलेश गुप्ता पत्नि श्री सत्यनारायण के द्वारा श्री बबलुराम मीना पुत्र श्री मोतीराम मीना के पक्ष में कर दिया गया। प्रकरण में एक से अधिक बैचान होने के कारण सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना अपेक्षित है। आवेदक द्वारा लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। पत्रावली वाद-विवाद/स्थगन, मौका रिपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट ली जानी उचित होगा। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Bablu Ram Meena S/o Moti Ram Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।